# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)

दावा सं. F.T.53/2015 B.T. NO. 203/2015

उनवानी:– संतोष देवी वगैरह बनाम कमला देवी वगैरह

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए |
|---|---|---|
| 20.11.2019 | पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. हेतु पेश हुई। बहस उभय पक्षकारान अधिवक्तागण की सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी (प्रतिवादीगण) ने कथन किया कि :–<br>विवादित भूमियां खसरा नं. 739,752,766,770,771,772,784,785,1004/761 ,1005/756 कुल किता 10 कुल रकबा 3.76 है0 तन ग्राम सलेदीपुरा पटवार हल्का केरपुरा तह. खण्डेला बाबत वादी द्वारा जो अपने वादपत्र में उदघोषणा का अनुतोष चाहा गया है। उसमें वर्तमान जमाबंदी के अनुसार जो खातेदार है उनको पक्षकार नही बनाया गया है। जिनको पक्षकार बनाया गया है। वो वर्तमान जमाबंदी में खातेदार नही है। इसलिए वादीगण उद्घोषणा करवाने के हकदार नही है। बिना खातेदारों को पक्षकार बनाये बिना वादीगण उद्घोषण जारी नही करवा सकता इसलिए वादीगण का वादपत्र खारिज किये जाने योग्य है।<br>वादीगण द्वारा जो उद्घोषणा इस न्यायालय में करवाना चाहते है। वह उद्घोषणा करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त नही है। क्योंकि उक्त विक्रय लेख निरस्त करने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है। उक्त बाबत श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। वादीगण ने केवल मात्र अनुतोष विधि संम्मत तरीके से करवायें गये विक्रय लेख को निरस्त करवाने बाबत ही चाहा गया है। जिसका श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नही है। अतः वादीगण का वादपत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।<br>यह है कि वादियागण द्वारा यह कह कर आया है कि सन 1984 में रूडमल ने अपने 1/2 हिस्से की भूमियों में 17 बीघा 18 बिस्वा से ज्यादा यानी 18 बीघा 9 बिस्वा भूमि का बेचान कर दिया। जबकि रूडमल के हिस्से में 17 बीघा 18 बिस्वा भूमि आती है। वादियागण को सब तथ्यों की जानकारी होने पश्चात भी भिन्न भिन्न व्यक्तियों को विवादित भूमियां बेचान की गई उनको वादियागण को जानकारी होने व अपने वादपत्र की मद सं. 4 के उक्त मद 1 से 5 में भी वादियागण द्वारा रूडमल द्वारा बेचान भूमियों का उल्लेख किया गया है। फिर भी वादियागण द्वारा इतनी जानकारी होने के पश्चात जो कानूनन आवश्यक पक्षकार थे उनको पक्षकार नही बनाया गया। इसलिए बिना सहखातेदारों को पक्षकार बनायें बिना वादपत्र में उद्घोषणा कानूनन जारी करवाने के हकदार नही नही है। इसलिए प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार फरमाया जावें।<br><br>जवाब में वकील अप्रार्थीगण/वादीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का जवाब न देकर सीधे ही बहस हेतु निवेदन किया। बहस सुनी गई। दौराने बहस कथन किया कि वादपत्र में विवादित भूमियां रूडमल व अमरचंद के हिस्से में 35 बीघा 16 बिस्वा भूमि थी जिसमें 1/2 हिस्से का हकदार रूडमल था व शेष 1/2 हिस्से का हकदार अमरचंद था। दोनों की विवादित भूमियां पैतृक थी रूडमल ने अपने हिस्से में आई भूमि 17 बीघा 18 बिस्वा भूमि का सन् 1984 में बनवारीलाल मीना, झाबरमल, प्रभुदयाल, फूलाराम,नानूराम आदि को बेचान कर दी तथा अपने हिस्से की कुआ की नाल अमरचंद को बेचान कर दी थी। रूडमल से खरीदशुदा भूमियों को केताओं ने सहवन से अपने नाम नही करवाई अतः रूडमल के नाम खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। रूडमल ने अपने हिस्से से ज्यादा भूमियों का बेचान कर दिया। रूडमल ने सन् 1984 में ही अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमियों का बेचान कर दिया था। तथा अब जो विक्रय लेख प्रतिवादीगण के पक्ष में करवाया गया है। वह गलत करवाया गया है। उक्त विक्रय लेख को बेअसर कलअदम, प्रभावहीन घोषित करवाने का वादपत्र पेश किया है। उद्घोषणा के दावें में खातेदारों को पक्षकार बनाना जरूरी नही है। न ही सहखातेदारों को | |

20.11.19

Scanned by CamScanner

पक्षकार बनाना जरूरी है। रूडमल के पास जमीन भी नही है। फिर भी बेचान कर दिया। मुझे मेरे अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकार इसी न्यायालय को प्राप्त है। सिविल न्यायालय को नही प्रार्थीया/प्रतिवादियागण देरीना करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थियागण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

हमने बहस उभयपक्षकारान की सुनी तथा वादियागण द्वारा प्रस्तुत दावे के कथनों व दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सगौर मनन किया तथा वादियागण द्वारा चाही गई दावे के अनुतोष का भी अध्ययन किया गया वादियागण द्वारा जिन व्यक्तियों के विरूद्व उद्घोषणा चाही है। वो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार नही है। न ही विवादित भूमियों की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। तथा बिना खातेदारों को पक्षकारान बनायें बिना उद्घोषणा जारी नही कि जा सकती न ही इस न्यायालय को विकय लेख को निरस्त करने व प्रभावहीन घोषित करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। इसलिए प्रार्थीयागण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी. पी.सी. स्वीकार किया जाता है। व वादीगण का वादपत्र ~~का~~ खारिज किया जाता है। वादीगण अपने वादपत्र की सिविल न्यायालय में चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। खारिज की डिग्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 20.11.2019 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

20.11.19
(रणजीत सिंह RAS)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)

Scanned by CamScanner

# डिकी मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खण्डेला मुकाम खण्डेला

बइजलास श्री रणजीत सिंह (आर.ए.एस )

1) सन्तोष देवी पत्नी रामनिवास (2) मोहनी देवी पत्नी मातादीन (3) लीला देवी पत्नी श्री राजेन्द्र मीणा समस्त जाति मीणा

बनाम

1) कमला देवी पत्नी श्री जयसिंह (2) जयसिंह पुत्र श्री फूलाराम (3) सांवरमल पुत्र श्री फूलाराम (4) कजवारी पुत्र श्री फूलाराम

दावा बाबत उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा)

मुकदमा नं0 F.T. 53/2015 सन् B.T. No. 203/2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री रणजीत सिंह आर.ए.एस व हाजिरी श्री सजाउद्दीन ............ एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री राजेन्द्र कुमार मीणा मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि ............

वादीगण द्वारा जिन व्यक्तियों के विरुद्ध उद्घोषणा चाही है, वो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदार नहीं है न ही विवादित भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। तथा बिना खातेदारों को पक्षकारान बनाये बिना उद्घोषणा जारी नहीं की जा सकती न ही इन व्यक्तियों को विरुद्ध लेख को निरस्त करने व प्रभाव हीन घोषित करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। इसलिए प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रारम्भिक आक्षेप स्वीकार किया

निज............मुबलिग...................................बाबत...................................खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ............का अदा करें।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20 माह 11 सन 2019 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत........ (हस्ताक्षर)

ओहदा........ उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला (सीकर)

| मुद्दई | रूपये | पैसे |
|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | |
| महन्ताना वकील | | |
| खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिश्नर | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| मुतफरिक | | |
| मीजान | | |

| मुद्दायलह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प अर्जी | | |
| महन्ताना वकील | | |
| खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिश्नर | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| मुतफरिक | | |
| मीजान | | |

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

(+) निवासीगण काछूसर तन सलेदीपुरा तहसील खण्डेला जि[illegible]
सीकर राजस्थान (वादीगण)

5. खड़कमणीदेवी पत्नी श्री सांवरमल
6. रवि कुमार पुत्र श्री सांवरमल
समस्त जाति मीणा निवासीगण काछूसर तन सलेदीपुरा
तहसील खण्डेला जिला सीकर राजस्थान
7. भूमिधारी जरिये तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर राज०
8. पटवारी हल्का केरपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर
9. उप पंजियक खण्डेला जिला सीकर राजस्थान
10. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय सीकर
(प्रतिवादीगण)

(+) 11 CPC स्वीकार किया जाता है व वादीगण का वा[illegible]
खारीज किया जाता है वादीगण अपने वाद पत्र की [illegible]
न्यायालय में चाराजोई करने के लिए स्वतंत्र है।

उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)

रणजीत सिंह
उपखण्ड मजिस्ट्रेट(IAS)
खण्डेला (सीकर)